बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक– 06.07.2026

संचिका संख्या–03/आ01–03/2018 I/454017/ श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के विरूद्ध श्री अनिल कुमार सिंह का परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें श्री अमर भूषण द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर कपटपूर्ण लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.–7737/1991 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं स्थापित नियमों का उल्लंघन कर फर्जी तरीके से कोषागार पदाधिकारी की मिली भगत से प्रत्यार्पित पद के विरूद्ध सेवान्त लाभ एवं 50 शिक्षकों को विद्यालय में फर्जी पदस्थापित एवं कार्यरत दिखाते हुये करोड़ों रूपये की राशि का गबन करने के आरोप थे।

2. आरोप की गंभीर प्रकृति के आलोक में विभागीय पत्रांक–63 दिनांक 29.10.2018 द्वारा श्री अमर भूषण से पक्ष प्रतिवेदन की मांग की गयी। श्री भूषण ने पत्रांक–93/08.03.2018 से अपना पक्ष प्रतिवेदन समर्पित किया।

3. श्री अमर भूषण से प्राप्त पक्ष प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–240 दिनांक 28.03.2018 द्वारा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा से मंतव्य की मांग की गयी।

4. माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् श्री सुबोध कुमार के पत्र के साथ श्री अनिल कुमार सिंह के परिवाद में उल्लेखित आरोपों की जाँच के लिए विभागीय आदेश सं0–309 दिनांक 16.04.2018 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की अध्यक्षता में एक जाँच दल गठित कर जाँच कराने का आदेश दिया गया।

5. इसी कड़ी में जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–418–2 दिनांक–30.07.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना का फर्जी हवाला देकर सुपौल जिलान्तर्गत सेवानिवृत शिक्षकों को पदस्थापित/कार्यरत मानकर वेतन के नाम पर करोड़ों की अवैध निकासी करने संबंधी श्री अनिल कुमार के श्री अमर भूषण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के विरूद्ध दिए गए परिवाद पत्र पर अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सुपौल के पत्रांक–670–2 दिनांक 29.06.2018 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच समिति का समर्पित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में समिति द्वारा इस मामले की जाँच विशेष निगरानी दल से कराने का मंतव्य दिया गया।

6. विभागीय आदेश संख्या–723 दिनांक 11.10.2018 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से जाँच का कार्य वापस लेते हुए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण मामले की जाँच कर एक पक्ष के अंदर जाँच प्रतिवेदन तथा आवश्यकतानुसार प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित समर्पित करने का निदेश दिया गया।

7. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक–1401 दिनांक 31.10.2018 द्वारा विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें गंभीर आरोप प्रतिवेदित किए गए।

8. श्री अमर भूषण को इन गंभीर आरोपों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–765 दिनांक 16.11.2018 द्वारा निलंबित किया गया एवं संकल्प संख्या–766 दिनांक 16.11.2018 द्वारा इनपर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

9. श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत हैं:–

(क) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल के पदस्थापन काल में इनके द्वारा लगभग 72 सेवानिवृत शिक्षकों को बिना उनके मामले की अलग–अलग जाँच किए हुए, बिना उनके विद्यालय के अधिग्रहण की तिथि के संबंध में जाँच करते हुए एवं बिना यह देखे हुए कि उस संबंध में शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित है या नहीं, सभी शिक्षकों को एक समान मानते हुए गलत तरीके से उनके पुनर्नियुक्ति का आदेश पारित किया गया है।

(ख) माननीय न्यायालय के जिन आदेशों के आधार पर इनके द्वारा इन सेवानिवृत शिक्षकों के पुनर्नियुक्ति आदेश पारित किया गया है उन आदेशों में माननीय न्यायालय द्वारा कहीं भी उनके अकार्यरत अवधि के वेतन भुगतान का आदेश पारित नहीं किया गया है परन्तु इनके द्वारा इन सभी पूर्व में सेवानिवृत शिक्षकों को पुर्ननियुक्ति मानते हुए उनके द्वारा अकार्यरत अवधि का वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है जिससे करोडों रूपए की सरकारी राशि की क्षति हुई है।

(ग) जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के पद को विभाग के द्वारा मृत कैडर घोषित होने के बावजूद बिना विभाग से अनुमति प्राप्त किए ही आपके द्वारा इन शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति का आदेश निर्गत किया गया जो कि विभागीय प्रावधानों का उल्लंघ न है।

(घ) इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. –15459/2014 में पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए नियोजित शिक्षकों के अभिलेखों के साथ छेड़–छाड़ एवं रोस्टर के अवहेलना करने के मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा सुपौल थाना में प्राथमिकी संख्या–508/2018 दिनांक 30.08.2018 धारा दर्ज की गयी है। उक्त प्राथमिकी में कई शिक्षकों के नियोजन के अवैध बताया गया है।

(ड.) इनके द्वारा सुपौल जिले में विभागीय आदेश का उल्लंघन करते हुए कई शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया है। इस प्रकार ये विभागीय आदेश के उल्लंघन एवं स्वेक्षाचारिता के दोषी हैं।

10. श्री भूषण को विभागीय अधिसूचना संख्या–491 दिनांक 07.08.2019 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

11. श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी के पीत पत्र गै०स०प्रे०सं० 272 दिनांक 17.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

12. प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री अमर भूषण से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के तहत विभागीय पत्रांक–274 (अनु0) दिनांक 21.07.2020 द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गयी। लिखित अभिकथन में श्री भूषण ने आरोपों का खंडन किया।

13. इस बीच श्री अमर भूषण की माता श्रीमती शारदा देवी द्वारा विभाग को एक आवेदन पत्र समर्पित किया गया जिसमें अपने पुत्र के विरूद्ध की जा रही जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही को द्वेषपूर्ण बताते हुए जांच पदाधिकारी को परिवर्तित कर विषय के जानकार पदाधिकारी से जांच कराने का अनुरोध किया गया।

14. विभागीय संकल्प सं0–373 दिनांक 14.09.2020 द्वारा श्री अमर भूषण पर पुनः नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संचालन करने हेतु श्री गिरीवर दयाल सिंह, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। श्री गिरीवर दयाल सिंह, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री मनोज कुमार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को संकल्प संख्या–467 दिनांक 08.10. 2021 द्वारा नया संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

15. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–198 दिनांक 06.09.2022 द्वारा श्री अमर भूषण के विरूद्ध संकल्प संख्या–373 दिनांक 14.09.2020 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का अंकित मत निम्नवत है :–

i) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल द्वारा प्रबंध समिति द्वारा कम उम्र में नियुक्त सेवा निवृत्त शिक्षकों के पुनर्बहाली संबंधी आदेश की समीक्षा की गयी। उक्त आदेश में सी०डब्ल्यू०जे०सी० 5424/2012 में दिनांक 06.03.2013 को पारित न्यायादेश जो सहरसा जिला से संबंधित था, के कार्यकारी अंश का उल्लेख किया गया है। उक्त आदेश में अंकित है कि वादी की सेवा अवधि की गणना विद्यालय के अधिग्रहण की तिथि से निर्धारित करते हुए वादी को सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाए। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 7737/2012 में पारित आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश सं० 940, दिनांक 23.08.2012 द्वारा प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त 72 शिक्षकों को 18 वर्ष से जितनी कम उम्र में नियुक्ति हुई थी, उतनी अवधि को सेवा निवृत्ति की अवधि से घटाकर वर्ष 2012 में सेवानिवृत्त कर दिया गया था। तदालोक में कई शिक्षकों द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसमें से सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 16979 /2014 कृष्णानंद झा बनाम बिहार सरकार में दिनांक 21.12.2015 को न्यायादेश पारित कर सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 5424/2012 के अनुसार कार्रवाई का आदेश देते हुए दिनांक 31.

11.2012 को वादी के विरूद्ध पारित आदेश को set-aside कर दिया गया। एक अन्य प्रभावित शिक्षक द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 1497/2016 कृष्ण नारायण यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29.01.2016 को न्यायादेश पारित करते हुए जिला कार्यकम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल को सभी पक्षों की समीक्षा चार सप्ताह अन्दर किए जाने का न्यायादेश दिया। आरोपी पदाधिकारी श्री भूषण द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में पारित न्यायादेश के आलोक में सेवा निवृत्त शिक्षकों की पुनर्बहाली संबंधी आदेश निर्गत किया गया है। श्री भूषण द्वारा निर्गत पुनर्बहाली आदेश की समीक्षा में निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं :

a) उपरोक्त उल्लिखित सभी 72 सेवा निवृत्त शिक्षक वादी नहीं थे।
b) पूर्व में सेवानिवृत्त शिक्षकों की पुनर्बहाली का मामला नीतिगत होने के कारण इस बिन्दु पर विभाग की अनुमति/निदेश प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया।
c) सभी बर्खास्त शिक्षकों की पुनर्बहाली के संबंध में अलग–अलग समीक्षा की जानी चाहिए थी, जिसमें प्रबंध संमिति द्वारा नियुक्ति की तिथि, विद्यालय अधिग्रहण की तिथि एवं विद्यालय के अधिग्रहण के समय संबंधित शिक्षक की आयु का उल्लेख किया जाना चाहिए था, तदुपरान्त विद्यालय अधिग्रहण के समय यदि शिक्षक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा थी उस स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर सेवा निवृत्ति तिथि का निर्धारण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।
d) पुनर्बहाली संबंधी न्यायादेश का अनुपालन जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से किया जाना चाहिए था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में सदृश्य मामलों के आधार पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा पुनर्बहाली आदेश निर्गत किया गया है परंतु कई बिन्दुओं पर आरोपी पदाधिकारी से प्रक्रियात्मक चूक हुई है। अतः आरोप सं. 1. आंशिक रूप से प्रमाणित है।

ii) सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं० 5424/2012 एवं सुपौल जिला अन्तर्गत शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं में पारित न्याय निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा वादियों के संबंध में विद्यालय अधिग्रहण की तिथि से सेवा अवधि की गणना करते हुए उन्हें मात्र पुनर्बहाल किए जाने का आदेश पारित किया है न कि अकार्यरत अवधि के वेतन भुगतान करने का। सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 1481/2016 रामलगन सिंह, बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा वादी को पुनर्बहाल करते हुए सम्पूर्ण सेवांत लाभ का भुगतान करने एवं वेतनादि भुगतान के वसूली पर रोक लगाया है, न कि अकार्यरत अवधि के भुगतान का आदेश दिया है। पुनर्बहाली पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा सभी शिक्षकों को पुनर्बहाल करते हुए अकार्यरत अवधि के भुगतान का आदेश पारित किया गया है, जिससे निश्चित रूप से सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। अतः आरोप सं. 2 प्रमाणित है।

iii) शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी शिक्षकों का पद मरणशील घोषित किया गया है, अतः प्रतिवर्ष 31 मार्च को सेवानिवृत अथवा अन्य कारणों से रिक्त पद समाप्त हो जाता है, अतः यदि वादी शिक्षकों को विद्यालय अधिग्रहण की तिथि से सेवानिवृत के आलोक में पुनर्बहाली की जानी थी, तो इसे मुख्यालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था, ताकि पारित न्यायादेश के आलोक में पद स्वीकृति अथवा पदों को पुनर्जीवित करने अथवा छाया पद सृजित करने की कार्रवाई करते हुए पुनर्बहाली की जाती परंतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही पुनर्बहाली का आदेश निर्गत किया गया, जो गलत है। अतः आरोप संख्या–03 प्रमाणित है।

iv) उक्त आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा प्राथमिकी संख्या–508/2018 सुपौल थाना में दर्ज है जो अनुसंधानान्तर्गत है। अतः साक्ष्य के अभाव में आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

v) लिपिकों की कमी के कारण अति महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु शिक्षकों को प्रतिनियोजित किया गया है। अतः आरोप संख्या–05 **कार्यहित में किया गया प्रतीत होता है।**

16: विभागीय पत्रांक–564 दिनांक 13.09.2022 द्वारा प्रमाणित/ आंशिक प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री भूषण से लिखित अभिकथन/कारण–पृच्छा की मांग की गयी।

17. श्री भूषण के पत्रांक–शून्य दिनांक 14.02.2023 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। श्री भूषण का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके समक्ष बचाव अभिकथन के कई बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया है। इनका कहना है कि उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा जो विभागीय पक्ष रखा गया है, केवल उसी को ध्यान में रखते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सहरसा जिले का मामला और सुपौल जिले का मामला दोनों में सदृश्यता थी। ज्ञातव्य हो कि इनके द्वारा सी.डब्ल्यू. जे.सी.सं.–16979/2014 कृष्णानन्द झा बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में विभागीय अनुशंसा के आलोक में उक्त वाद में माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 के विरूद्ध एल.पी.ए. सं.–1236/2016 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्णय कर दिया गया कि कृष्णानन्द झा का मामला सहरसा जिले के शिक्षकों के मामले के सदृश्य है और सहरसा जिले के शिक्षकों की सेवा में वापसी एवं कार्यरत अवधि का भुगतान कर दिया गया है वैसी स्थिति में समान लाभ कृष्णानन्द झा सदृश्य मामले में नहीं रोका जा सकता है, उपरोक्त आदेश पर संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। समरुप विषय में प्रधान सचिव महोदय एवं निदेशक महोदय द्वारा आदेश पारित है। अतः उक्त वर्णित परिस्थिति में आरोप संख्या–01 से 03 इनके ऊपर लगाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि यदि विभागीय स्तर से

समरुप मामले में शिक्षकों को लाभ दिया गया है वैसी परिस्थिति में इनके द्वारा उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में आदेश परित किया गया है. जो कि इनकी बाध्यता थी। संचालन पदाधिकारी द्वारा State litigation policy के तहत समरुप मामले में समरुप आदेश पारित किया जा सकता है पर भी कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि राज्य के मुकदमा नीति में यह स्पष्ट है कि समरुप मामलों का निष्पादन राज्य के अधिकारियों द्वारा किया जाना जरुरी है, ताकि न्यायालय पर बेवजह बोझ न बढ़े। इनके द्वारा आरोप संख्या–01 से 03 में लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

18. श्री भूषण से प्राप्त बचाव अभिकथन पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग से मंतव्य की मांग विभागीय पत्रांक–268 दिनांक 12.06.2023 एवं अंतिम स्मार पत्रांक–344148 दिनांक 05.01.2026 द्वारा की गयी।

19. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के पत्रांक– 705 दिनांक 11.02.2026 द्वारा समंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त पत्र में यह मंतव्य अंकित किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप संख्या– 01 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या–02 एवं 03 को प्रमाणित पाया गया है। उक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव अभिकथन में यह प्रतिवेदित कि गया है कि सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–16979/2014 कृष्णानंद झा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–21.12.2015 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल.पी.ए. संख्या– 1236/2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में सहरसा जिले के सदृश्य मामले में शिक्षकों की पुर्ननियुक्ति तथा अकार्यरत अवधि का वेतन भुगतान किया गया। इस क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त वाद में सभी 72 शिक्षक वादी नहीं थे एवं पूर्व में सेवानिवृत्त शिक्षकों की पुनर्बहाली का मामला नीतिगत होने के कारण विभाग की अनुमति एवं निदेश लिया जाना अपेक्षित था, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया। साथ ही सभी बर्खास्त शिक्षकों की पुनर्बहाली के संबंध में अलग–अलग समीक्षा करते हुए विद्यालय अधिग्रहण के समय संबंधित शिक्षक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होने पर उस समय के जन्म तिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था तथा पुनर्बहाली संबंधी आदेश जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से होना चाहिए था, जिसका अनुपालन आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अकार्यरत अवधि के वेतनादि के भुगतान में प्रतिवेदित किया गया है कि सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–5424/2012 एवं सुपौल जिलांतर्गत शिक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं के न्यायादेश में विद्यालय अधिग्रहण के तिथि से सेवावधि की गणना करते हुए मात्र पुनर्बहाली का आदेश दिया गया है न कि अकार्यरत अवधि के वेतन भुगतान का, परन्तु श्री भूषण द्वारा अकार्यरत अवधि के वेतनादि का भुगतान किया गया है जिससे सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। चूंकि शिक्षकों का पद मरणशील घोषित है, अतः यदि वादी शिक्षकों को विद्यालय अधिग्रहण की तिथि से पुनर्बहाली की जानी थी, तो मुख्यालय के संज्ञान में लाकर शिक्षक पद की स्वीकृति अथवा पदों को पुनर्जीवित करने

अथवा छाया पद सृजित करने की कार्रवाई कराकर पदों पर पुनर्बहाली किया जाना चाहिए था, जो कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उक्त आरोपों के विरूद्ध आरोपी पदाधिकारी द्वारा केवल माननीय न्यायालय के आदेश के हवाला देकर बचाव अभिकथन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा अकार्यरत अवधि के वेतनादि भुगतान एवं पुनर्बहाली किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले Technical Procedure के अनुपालन से संबंधित किसी प्रकार का बचाव अभिकथन समर्पित नहीं किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन एवं बचाव अभिकथन के विश्लेषण के उपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर सहमति दर्ज की जाती है।

20. श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई है। इनपर पुनर्बहाली के नीतिगत मामले में विभाग की बिना अनुमति के पुनर्बहाली करने तथा इसमें विहित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, विभाग तथा प्रावधानों की अनदेखी करते हुए शिक्षकों को अकार्यरत अवधि का वेतन भुगतान कर वित्तीय अनियमितता कारित करने आदि के गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लेख तो किया गया है परंतु अकार्यरत अवधि के वेतनादि भुगतान एवं पुनर्बहाली किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुपालन से संबंधित किसी प्रकार का अभिकथन समर्पित नहीं किया गया है। श्री अमर भूषण द्वारा इतनी बड़ी संख्या में पुनर्नियुक्ति का आदेश निर्गत करने के पूर्व विभाग निदेशालय की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था। इनके द्वारा अकार्यरत अवधि के वेतनादि का भुगतान किया गया है जिससे सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। इनपर प्राथमिकी भी दर्ज होने का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में किया गया है। इस प्रकार समीक्षा में इनका लिखित अभ्यावेदन स्वीकारणीय ज्ञात नहीं हुआ।

21. उपर्युक्त प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 (VI) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियों को रोकने" की शास्ति अधिरोपित/विनिश्चित करते हुए हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

22. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1106A दिनांक 24.06.2026 द्वारा श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

23. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (vi) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियों को रोकने की शास्ति"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–03/2018..1/454017......../ पटना, दिनांकः– 06.07.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री अमर भूषण, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल सम्प्रति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 06-07-2026 09:41:58